नम्बर / वर्ष 179 / 2009 अनवानी उमादेवी बनाम शिशपाल

तारीख हुक्म	कार्यवाह मय इनीशियल जज	नम्बर व तारिख जो अहकाम की पालना में जारी हुए
20/02/2025	पत्रावली पेश हुई प्रार्थना पत्र आदेश 22 नियम 3 सीपीसी पर उभयपक्षों की बहस सुनी गई। प्रार्थी नत्थराम आदि पि0 उमादेवी के अधिवक्ता श्री मांगेराम गोदारा ने अपनी बहस में अपने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया की अनवानी वाद श्रीमानजी के न्यायालय में विचाराधीन है जिसमें वादीया दिनांक 06.08.2020 को फोत हो चुकी है जिसकी सुचना मुझे नही थी तथा वादी के वारिसान किसान लोग है उसे वारिसो को फरीक दावा बनाने बाबत पता नही था तथा वकील साहब ने हाजिर अदालत उपस्थित नही होने बाबत बोला नही था इसलिये काफी दिनों से वकील साहब से मुलाकात नही हुई थी दिनांक 20.06.2022 को वकील साहब से मिलने आया तब वारिसों को पक्षकार बनाने बाबत पता चला इसलिये दस्तावेजात लाकर यह प्रार्थना पत्र पेश किया गया है न्यायहित में अज्ञानता वशं हुई देरी को माफ किया जाकर वारिसो को पक्षकार बनाया जावे उमादेवी ने अपने जीवनकाल में उक्त भूमि की वसीयत करवा दी थी इसलिये उमादेवी के निम्नलिखित वारिस है नत्थुराम , दयाराम , कृष्ण कुमार को उमादेवी के स्थान पर वारिस बनाया जावे अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर उमादेवी वादीया के स्थान पर प्रार्थीगण को पक्षकार बनाने के आदेश फरमावे। प्रतिवादी शिशपाल के अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपने जबाब प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया की प्रार्थीगण की माता उमादेवी जो प्रार्थीगण के साथ ही निवास करती थी जिनकी मृत्यू के बाबत उनको ज्ञान था प्रार्थीगण ने कथित किया है कि उनको माता की मृत्यु का ज्ञान नही था स्वीकार योग्य नही है। वादीया उमादेवी के तीन वारिस होना अकित किया गया है जबकि उमादेवी के पांच वारिस है उमादेवी के तीन पुत्र एव दो पुत्रिया है उनकी पुत्री सावत्री देवी भी फोत हो चुकी है उसकी पुत्री सन्तो का भी पक्षकार नही बनाया गया है प्रार्थना पत्र अधुरा है वादीया उमादेवी की मृत्यू दिनांक 06.08.2020 को हुई थी प्रार्थीगण ने प्रार्थना पत्र दिनांक 07.07.2022 को पेश किया गया है चुकि मृतक वादिया की मृत्यू के 90 दिवस में प्रार्थना पत्र पेश किया जाना आवश्यक था जो देरीना से पेश किया गया है तथा देरीना का भी सन्तोषजनक कारण अंकित नही किया गया है। प्रार्थीगण ने उमादेवी के स्थान पर पक्षकार बनने का प्रार्थना पत्र देरीना से पेश किया गया है देरीना का सन्तोषजनक कारण अंकित नही किया तथा उमादेवी के वारिसान समस्त को पक्षकार नही बनाये जाने के कारण वादीया का वाद अबेट हो चुका है अतः प्रार्थना पत्र खारिज किया जाकर वाद वादीया खारिज फरमाया जावे। हमने उभयपक्षों की बहस सुनी पत्रावली का अवलोकन किया गया प्रार्थीगण नत्थुराम आदि पि0 उमादेवी ने प्रार्थना पत्र आदेश 22 नियम 03 सीपीसी पेश कर निवेदन किया की उमादेवी का देहान्त होने के कारण उमादेवी के स्थान पर प्रार्थी पक्षकार बतौर वादी बनाया जावे प्रार्थीगण ने अपने प्रार्थना पत्र के संलग्न उमादेवी का मृत्यू प्रमाण पत्र पेश किया गया है जिसके अनुसार उमादेवी की मृत्यु दिनांक 06.08.2020 को हुई है तथा प्रार्थीगण ने पक्षकार बनने का प्रार्थना पत्र दिनांक 07.07.2022 को पेश किया गया है अर्थात लगभग पश्चात पेश किया गया है प्रार्थीगण ने प्रार्थना पत्र काफी देरीना से पेश होना स्पष्ट रूप से प्रमाणित है। प्रार्थीगण ने देरीना से प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने का कारण अपने अधिवक्ता ने मुलाकात नही होना अंकित किया गया है जो	

Signature Not Verified
Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2025.03.10 15:41:05 IST
Reason: Self Attested

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

स्वीकार योग्य नही है कोई भी पक्षकार अपने अधिवक्ता से दो वर्ष तक ना मिला हो स्वीकार योग्य नही है यहॉ यह भी उल्लेखनिय है कि वादीया के अधिवक्ता का दायित्व था की उमादेवी के देहान्त होने पर उसके वारिसान को पक्षकार बनाने के लिये समय पर अवगत करवाता अर्थात प्रार्थीगण के द्वारा देरीना का कारण सन्तोषजनक नही है।

प्रार्थना पत्र आदेश 22 नियम 3 सीपीसी का प्रार्थना पत्र मृत्यू दिनांक से 15 दिवस पश्चात एवं पंजीकरण दिनांक से 90 दिवस पश्चात पेश किया गया है जबकि 90 दिवस में वारिसान को पक्षकार बनाये जाने का प्रार्थना पत्र पेश किया जाना चाहिये था।

प्रार्थीया ने 90 दिवस के पश्चात देरी से प्रार्थना पत्र पेश किया गया है और देरीना का भी सन्तोषजनक कारण अंकित नही किया गया है

प्रार्थीगण ने अपने प्रार्थना पत्र में उमादेवी की वसीयत के अनुसार पक्षकार बनने का निवेदन किया गया है जबकि वसीयत की प्रति भी पेश नही की गई है वह दस्तावेजात ही प्रस्तुत नही किया गया जिसके आधार पर पक्षकार बनने का निवेदन किया गया है प्रार्थना पत्र आदेश 22 नियम 03 के प्रावधान के अनुसार उमादेवी के देहान्त होने पर उसके समस्त वारिसान को पक्षकार बनाया जाना आवश्यक है।

उमादेवी के देहान्त होने पर उसके पुत्रों को उमादेवी के स्थान पर पक्षकार बनाये जाने का निवेदन किया गया है जो विधिसम्मत नही है उमादेवी के देहान्त होने पर उसके समस्त वारिसान को पक्षकार बनाया जाना आवश्यक था किन्तु केवल उमादेवी के पुत्रो को उमादेवी के स्थान पर पक्षकार बनाये जाने का निवेदन किया जाना विधि सम्मत नही है।

उपरोक्त विवेचन के अनुसार उमादेवी के देहान्त होने पर उमादेवी के स्थान पर प्रार्थीगण ने पक्षकार बनने का प्रार्थना पत्र काफी देरीना से प्रस्तुत किया गया है एवं उमादेवी के समस्त वारिसान के स्थान पर केवल तथाकथित वसीयत के आधार पर केवल पुत्रों को पक्षकार बनाये जाने का प्रार्थना पत्र पेश किया गया है जबकि उमादेवी के देहान्त होने पर उमादेवी के समस्त विधिक वारिसान को पक्षकार बनाये जाने का प्रार्थना पत्र पेश किया जाना आवश्यक था जो नही किया गया है अर्थात वादीया का वाद समय पर समस्त वारिसान को पक्षकार नही बनाये जाने अपसमन /अवैट योग्य है।

अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र आदेश 22 नियम 3 सीपीसी देरीना से प्रस्तुत करने देरीना का सन्तोषजनक कारण व्यक्त नही करने एवं समस्त विधिक वारिसान को पक्षकार नही बनाये जाने के कारण एवं साक्ष्य सबुतों के अभाव में स्वीकार योग्य नही होने के कारण खारिज किया जाता है एव वाद वादीया अपसंमन/अवैट होने के कारण खारिज किया जाता है व्यय प्रार्थना पत्र उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे पत्रावली नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो

निर्णय आज दिनांक 20/02/2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बसरेईजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

Signature Not Verified

Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2025.03.10 15:41:05 IST
Reason: SelfAttested